

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक ५ दिसम्बर, 2015

क्रमांक एफ 3-6/2015/10-1: राज्य शासन एतद द्वारा निम्नांकित (वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यमार ग्रहण करने के दिनोंक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते) हुए उनके नाम के सम्मुख(कालमक.-4) दर्शाये पदस्थापना पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

सं. क्र	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थिति	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री ओम प्रकाश पटेल	सतपुडा टाईगर रिजर्व, होशंगाबाद वृत्त	अधीक्षक, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़(सा) व.म.
2	श्री शमशेर सिंह तोमर	उज्जैन वृत्त	संलग्न अधिकारी, खरगौन(सा) व.म.
3	श्री संतराम यादव	होशंगाबाद वृत्त	उप व.म.अ. बागली (उत्पा.) देवास(उत्पा.) व.म.
4	श्री मदन मोहन शर्मा	शिवपुरी वृत्त	स.व.सं. म.प्र. राज्य लघु बनोपज संघ, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)

2/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ, रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

२२/१२/१५

(एन०पी० अहिरयार)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

✓

....2/....

11211

पु. क्रमांक एम 3-6/2015/10-1

भोपाल, दिनांक ४ दिसम्बर 2015

प्रतिलिपि -

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश रवालियर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र., भोपाल।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) म.प्र., भोपाल।
5. प्रबंध सचालक, म.प्र. लघु वनोपज संघ भोपाल।
6. मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन/होशंगाबाद/शिवपुरी /इन्दौर म.प्र।
7. वनमण्डलाधिकारी खरगौन/देवास। ✓
8. ~ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन। एवं ॥) म.प्र., भोपाल।
9. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र. भोपाल।
10. निज सचिव, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
11. संयुक्त सचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
12. संबंधित अधिकारी श्री द्वारा-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन- ॥) म. प्र. भोपाल। पदोन्तत पद पर वेतन निर्धारण हेतु एक माह की समयावधि में आप अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।
13. गार्ड फाइल।

८५-३ लृ. और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अयोग्यित।

८८११८८
०४/१२/१५

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(प्राप्त-॥) वा. न.वा.न

१०/१२

४६३
११/१२/१५

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 27.08.2015

क्रमांक एफ 3-6 / 2015 / 10-1: राज्य शासन एतद द्वारा निम्नांकित वनक्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख (कालम क्र.-4) पदस्थापना पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है:-

अक	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थिति	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	श्री उमाकान्त पाण्डे	व.क्षे., राजधानी परि., भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)	स.व.सं., कार्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल (प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुये)
2.	श्री संजय कुमार जैन	व.क्षे., होशंगाबाद वृत्त	स.व.सं., कार्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल
3.	श्री छो. सुब्रह्मणी पिल्लई	व.क्षे., राजधानी परि., भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)	उप व.मं.अ. विदिशा (सा.), विदिशा (सा.) व.मं. (प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुये)
4.	श्री देवानन्द पाण्डे	व.क्षे., सिवनी वृत्त	उप व.मं.अ., उत्तर कूनो विजयपुर, पालपुर कूनो (व.प्रा.) व.म.
5.	श्री चंद्रिका सिंह	व.क्षे., जबलपुर वृत्त	उप व.मं.अ., कुरई (उत्पा.), सिवनी (उत्पा.) व.मं.
6.	श्री तरुण कुमार कौरव	व.क्षे., भोपाल वृत्त	सहायक वन संरक्षक, मध्य प्रदेश राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)
7.	श्री भगवती प्रसाद तिवारी	व.क्षे., सागर वृत्त	सहायक संचालक, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी
8.	श्री शिवकुमार अवस्थी	व.क्षे., उज्जैन वृत्त	उप व.मं.अ., देवास (उत्पा.), देवास (उत्पा.) व.मं.

2/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ, रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अशोक कुमार शर्मा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

//2//

पु. क्रमांक रफ 3-6/2015/10-1

भोपाल, दिनांक 27.08.2015

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. आयुक्त पर्यावरण तथा प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल।
6. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेजीडेंसी एरिया, इंदौर।
7. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ भोपाल।
9. प्रबंध संचालक, राज्य अनुसंधान संस्थान, जबलपुर।
10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन 1 एवं 2) सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश, भोपाल।
11. संचालक, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी।
12. मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त भोपाल/होशंगाबाद/जबलपुर/सागर/उज्जैन।
13. मुख्य वन संरक्षक, कूनो पालपुर अभ्यारण्य, जिला श्योपुर।
14. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन विभाग, भोपाल।
15. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
16. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, भोपाल।
17. संविधित अधिकारी श्री
18. अभिलेख सहायक (स्थापना कक्ष 1)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

क्रमांक एफ 3-6/2015/10-1: राज्य शासन एतद द्वारा श्री अच्छेलाल वर्मा, वन क्षेत्रपाल को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए उन्हें अनुदेशक, राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन उत्तर सिवनी(सा०) वन मण्डल के पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है।

- 2/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों, रोस्टर पंजी में कर दी गई है।
- 3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की घारा-6 के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार^{मुख्यमंत्री}
^{३०/३/२०१५}
(एन०पी० अहिरवार)
अवर सचिव

पृ. क्रमांक एफ 3-6/2015/10-1
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
 3. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र., भोपाल।
 4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) म.प्र., भोपाल।
 5. मुख्य वन संरक्षक, सिवनी, म.प्र।
 6. वनमण्डलाधिकारी उत्तर सिवनी।
 7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन। एवं ।।) म.प्र., भोपाल।
 8. मुख्य वन संरक्षक, सिवनी, म.प्र।
 9. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र. भोपाल।
 10. संचालक / अनुदेशक, राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन उत्तर सिवनी।
 11. निज सचिव, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 12. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
 13. संबंधित अधिकारी श्री अच्छेलाल वर्मा, वन क्षेत्रपाल द्वारा—अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन—।) म. प्र. भोपाल। पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण हेतु एक माह की समयावधि में आप अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।
 14. गार्ड फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

३०/३/२०१५
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

1170
31-7-15

कार्यालय प्रधान मुख्य संसदीय संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / प्रशा.-1 / वन से / 315।

भोपाल, दिनांक 3-8-2015

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त सिवनी, म.प्र।
2. संचालक, वन विद्यालय सिवनी, म.प्र।
3. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सिवनी, म.प्र।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अवैधित कर लेख है कि कृपया म.प्र.
शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 3-06/2015/10-1 दिनांक
30-7-2015 की प्रति संवैधित अधिकारी को सौंपने काट करें।



(केशव सिंह)

वन संरक्षक, (प्रशा.-1)

म.प्र. भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल
रांशोधन आदेश ::

भोपाल, दिनांक 09.07.2015

क्रमांक एफ 3-6/2015/10-1(क). राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 3-6/2015/10-1, दिनांक 09.07.2015 को अधिक्रमित करते हुये एतद हारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन संवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे मे सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्बुद्ध (कालम क्रं.-4) नवीन पदस्थापना पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

अ. क.	अधिकारी का नाम एवं आवंटन वर्ष	दर्तमान पदस्थिति	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	श्री तरुन चन्द्र पाल	व.क्षे., जबलपुर वृत्त	संलग्न अधिकारी, कटनी (सा.) व.म.
2.	श्री आर.एस.भदौरिया	व.क्षे., लघुवनोपज संघ भोपाल वृत्त	संलग्न अधिकारी, विदेशा (सा.) व.म.
3.	श्री वाय.पी.वर्मा	व.क्षे., रीवा वृत्त	संलग्न अधिकारी, रीवा वृत्त कार्यालय
4.	श्री ब्रजलोल सत्यार्थी <i>10/7/57</i>	व.क्षे., छिंदवाडा वृत्त	सहायक वन संरक्षक, म.प्र.राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल
5.	श्री डी.के.श्रीवास्तव	व.क्षे., सिवनी वृत्त	संलग्न अधिकारी, सिवनी वृत्त कार्यालय
6.	श्री प्रेमशंकर सिंह विसेन	व.क्षे., रीवा वृत्त	संलग्न अधिकारी, सतना (सा.) व.म.
7.	श्री प्रमोद चौपडे	व.क्षे., छिंदवाडा वृत्त	संलग्न अधिकारी, दक्षिण छिंदवाडा (सा.) व.म.
8.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	व.क्षे., जबलपुर वृत्त	संलग्न अधिकारी, डिण्डोरी (सा.) व.म.
9.	श्री सेवाराम मलिक	व.क्षे., पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (प्रतिनियुक्ति पर)	संलग्न अधिकारी, मुरैना (सा.) व.म. (प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुये)
10.	श्री सुधीर कुमार मिश्रा	व.क्षे., जबलपुर वृत्त	संलग्न अधिकारी, पश्चिम मण्डला (सा.) व.म.
11.	श्री आर.आर.बिलगैया	व.क्षे., इंदौर वृत्त	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल
12.	श्री शरद चन्द्र दुबे	व.क्षे., न.धा.वि.प्रा., इंदौर (प्रतिनियुक्ति पर)	स.व.सं., न.धा.वि.प्रा., भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)
13.	श्री सुनील भारद्वाज	व.क्षे., भोपाल वृत्त	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल
14.	श्री गोपाल सिंह	व.क्षे., सिवनी वृत्त	उप व.म.अ., धूमा (उत्पा.), सिवनी (उत्पा.) व.म.
15.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला	व.क्षे., शहडोल वृत्त	संलग्न अधिकारी, शहडोल वृत्त कार्यालय
16.	श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना	व.क्षे., होशंगाबाद वृत्त	संलग्न अधिकारी, वैतूल वृत्त कार्यालय
17.	श्री पी.के.श्रीवास्तव	व.क्षे., जबलपुर वृत्त	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल
18.	श्री देवेन्द्र सिंह	व.क्षे., होशंगाबाद वृत्त <i>11/10/67</i>	संलग्न अधिकारी, नरसिंहपुर (सा.) व.म.
19.	श्री संजीव कुमार शर्मा	व.क्षे., होशंगाबाद वृत्त	अनुदेशक, वन विद्यालय, पचमढी

.....निरन्तर

20	श्री अनादि लोधोलिया ६	व.क्षे., छिंदवाडा वृत्त	उप व.म.अ., वामली (उत्पा) रेखा स (उत्पा.) व.म.
21	श्री धीरज सिंह चौहान ५	व.क्षे., भोपाल वृत्त	उप व.म.अ., दक्षिण हरदा (सा), हरदा (सा.) व.म.
22	श्री राजाराम ओधनिया १११५६ ५०	प.अ.इंदौर वृत्त	सहायक वन संरक्षक, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
23	श्री गंगाप्रसाद कुदरा १५११७० ५८	व.क्षे., सिवनी वृत्त	संलग्न अधिकारी, उत्तर सिवनी (सा.) व.म.
24	श्री फगन १११२१५१	व.क्षे., कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला	संलग्न अधिकारी, वैतूल (सा.) व.म
25	श्री सुरसिंह डावर ११६१५७ ST	व.क्षे., इंदौर वृत्त	संलग्न अधिकारी, अशोकनगर (सा.) व.म.
26	श्री तजसिंह चौहान ST	व.क्षे. कार्य आयोजना उज्जैन	संलग्न अधिकारी, गुना (सा.) व.म.

2/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों रोस्टर पजी में कर दी गई है।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-६ की उपल्हारा (1) के उपबंधों का पूर्ण सज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार शर्मा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 09.07.2015

पृ. क्रमांक एफ 3-6/2015/10-1

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजित।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल। अनुरोध है कि कृपया स्थानान्तरित अधिकारियों ने निर्धारित समय—सीमा में नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर लात कराने का काट करें।
 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल।
 3. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
 4. प्रमुख सचिव, न.घा.वि.विभाग, भोपाल।
 5. प्रबंध सचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
 6. प्रबंध सचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ भोपाल।
 7. सचालक, राज्य अनुसंधान संस्थान, जबलपुर।
 8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन 1 एवं 2) रातपुडा भवन, मध्य प्रदेश, भोपाल।
 9. क्षेत्र सचालक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मंडला।
 10. मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त जबलपुर/भोपाल/रीवा/सिवनी/छिंदवाडा/ग्वालियर/इंदौर/शहडोल/होशंगाबाद/वैतूल/उज्जैन/शिवपुरी
 11. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन विभाग, भोपाल।
 12. स्टोफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 13. संयुक्त सचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, भोपाल।
 14. संबंधित अधिकारी श्री
 15. अग्निलेख सहायक (स्थापना कक्ष 1)
- वी और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन f

०५

मध्य प्रदेश शासन
दन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 06.07.2015

क्रमांक एफ 3-6/2015/10-1: राज्य शासन एवं द्वारा निम्नानुकूल वन क्षेत्रपालों को स्थानापन रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड से में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्बन्ध (कालम क्र.-4) नवीन पदस्थापना पर तत्काल प्रभाव से पदस्थि करता है :-

अ ^क	अधिकारी का नाम एवं आवंटन वर्ष	वर्तमान पदस्थिति	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	श्री विनोद कुमार शर्मा ५	व.क्षे., शिवपुरी वृत्त	सहायक वन संरक्षक, मध्य प्रदेश राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)
2.	श्री कृष्ण सिंह भद्रारिया ५	व.क्षे., खालियर वृत्त	संलग्न अधिकारी, खालियर वृत्त कार्यालय
3.	श्री राकेश कुमार गुरुदेव ५	व.क्षे., जबलपुर वृत्त	संलग्न अधिकारी, उत्तर पन्ना (सा.) व.मं.

2/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ, रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

3/ प्रभाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा अधिकारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

०६/०७/२०१५
(अशोक कुमार शर्मा)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, दन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3-6/2015/10-1

भोपाल, दिनांक 06.07.2015

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजी।

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल। अनुरोध है कि कृपया स्थानान्तरित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में नवीन पदस्थापना पर कार्यभार-ग्रहण करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराने का कष्ट करें।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल।
- प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
- प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ भोपाल।
- प्रबंध संचालक, राज्य अनुसंधान संस्थान, जबलपुर।
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन 1 एवं 2) सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश, भोपाल।

7. मुख्य वन संरक्षक वन वृक्ति शिवपुरी/भोपाल/बोलियर/जबलपुर/छतरपुर।
8. विशेष सहायक मानवीय मंत्रीजी, वन विभाग भोपाल।
9. रटोर ऑफिसर, प्रमुख सचिव, वन विभाग, मताजल भोपाल।
10. सद्यक सचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, भोपाल।
11. सचिवत अधिकारी श्री
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिभित।
12. अमिलख सहायक (स्थापना कक्ष 1)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक ०५ मार्च, 2015

क्रमांक एफ ३-१०/२०१४/१०-१ : राज्य शासन एतद द्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये १५६००-३९१००+५४०० ग्रेड-पे में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समुख अंकित (कॉलम क्रं.-४) नवीन पदस्थापना पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

सं. क्रं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री के.सी. जोशी	वनक्षेत्रपाल, इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर	सहायक वन संरक्षक, सलग्न अधिकारी उज्जैन(सा०) वन मण्डल
2	श्री अरुण कुमार पारिख	वनक्षेत्रपाल, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त इन्दौर	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)
3	श्री यू.एस. नेती <i>ST ५१५१५६</i>	वनक्षेत्रपाल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मण्डला	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)

2/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ, रोस्टर पंजी मे कर दी गई हैं।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक २१ सन् १९९४) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-६ की उपधारा (१) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अशोक कुमार शर्मा

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

..... 2 /

वनक्षेत्रपाल कक्ष

07/03/15

// 2 //

पृ. क्रमांक एफ 3-10 / 2014 / 10-1

भोपाल, दिनांक ०५ मार्च, 2015

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं भू-अभिलेख) म.प्र., भोपाल।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) म.प्र., भोपाल।
6. प्रबंध सचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल।
7. सदस्य(अभियांत्रिकी), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल मध्यप्रदेश।
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन। एवं।।) म.प्र., भोपाल।
9. संबंधित मुख्य वन संरक्षक, म.प्र।
10. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र. भोपाल।
11. निज सचिव, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
12. संयुक्त सचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
13. संबंधित अधिकारी.....
द्वारा— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन—।) म. प्र. भोपाल। पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण हेतु एक माह की समयावधि में आप अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं
14. गार्ड फाईल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग